महिला स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर

ऋतु सारस्वत

आर्थिक समीक्षा 2017-18 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, फसल संबंधी प्रसंस्करण कार्य, कृषि, सामाजिक वानिकी, मत्स्यपालन आदि सहित कृषि विकास और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है और यह ऐसा तथ्य है जिसे लम्बे समय से उचित महत्त्व नहीं दिया गया है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। पुरुषों द्वारा ग्रामों से हटकर शहरों में प्रवसन बढ़ने के कारण खेतिहरों उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में बहुविध भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से कृषि क्षेत्र का 'नारीकरण' हो गया है

''मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं'' बी.आर. आम्बेडकर का यह वक्तव्य, देश के विकास का मापदण्ड होना चाहिए। देश के लोग राष्ट्र की संपदा के जरूरी घटक हैं और समावेशी तथा सतत् विकास के लिए सामाजिक अवसंरचना यथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, देश की केन्द्रीय योजना का आधार होनी चाहिए। इस तथ्य को स्वीकारते हुए बीते वर्षों में, सामाजिक अवसरंचना, केन्द्रीय बजट की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य यों तो केन्द्र की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। परन्तु इन घटकों पर विचार करते हुए, महिलाओं के प्रति विशेष दृष्टि आवश्यक हो जाती है क्योंकि 'स्त्री' का विकास व्यक्तिशः नहीं होता, उसके विकास से परिवार और समाज का विकास प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अतः हर क्षेत्र में स्त्रियों से जुड़े अनानुपातिक अंतरालों का पाटना अपरिहार्य हो जाता है।

लैंगिक संवेदी बजट की चर्चा अधूरी है, अगर उसे सिर्फ इस दृष्टि से विवेचित करने की चेष्टा की जाए कि प्रत्यक्षतः महिलाओं के हिस्से में कितनी राशि आवंटित हुई है। सामाजिक अवसंरचना के प्रत्येक घटक में आवंटित राशि, को महिलाओं के साथ जोड़ कर उसका विश्लेषण हो, महिलाओं के भविष्य में, सरकारी नीतियों की परिणति को विश्लेषित करने का कारगर माध्यम है। इसके साथ ही यह भी अपरिहार्य है कि हम बाल हितों को महिलाओं के हितों के साथ ही जोड़ कर देखें क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं।

बीते दशकों में महिला सशक्तीकरण, देश की केन्द्रीय नीतियों का आधार रहा है और इसी दृष्टिकोण से केन्द्रीय बजट 2018-19 का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यों तो महिलाओं के बजट विश्लेषण की चर्चा होते ही समाजशास्त्रियों से लेकर अर्थशास्त्रियों द्वारा इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कि महिलाओं के घरेलू बजट के लिए, क्या प्रावधान किए गए हैं, बजट को विश्लेषित किये जाने की चेष्टा की जाती है। परन्तु 2018-19 का केन्द्रीय बजट इस दृष्टि से विशेष है कि सरकार ने लड़कियों व महिलाओं को घरों तक सीमित रखने के वनिस्पत मानव संसाधन के रूप में पहचाना है। पिछले वित्त वर्ष में देश का लैंगिक बजट 1,13,311.32 करोड़ था जो इस वर्ष बढ़ाकर 1,21,961.32 करोड़ कर दिया गया है।

महिला सशक्तीकरण का केन्द्र बिन्दु आर्थिक आत्मनिर्भरता है क्योंकि स्वावलंबन आत्मविश्वास को जाग्रत करता है। भारत में आज भी, श्रम बल भागीदारी दर में लिंग अंतराल 50 प्रतिशतांक से अधिक है। आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भागीदारी में कमी अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही कारण है कि स्वरोजगार उद्यमों के सृजन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी दिशा में केन्द्रीय बजट में महिलाओं के *स्वयं सहायता समूहों* के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। 2016-17 में केन्द्र ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए 42,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। उल्लेखनीय है कि स्वयं सहायता समूह

लेखिका महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध महाविद्यालय में समाजशास्त्र की अध्यापिका हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में लगभग 70 से अधिक आलेख प्रकाशित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सरकार की 6 पुस्तकों की सहलेखिका। लोकसभा चैनल में विशेषज्ञ के तौर पर वार्ताओं में प्रतिभागिता। ईमेल : saraswatritu@yahoo.co.in

एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने अपनी नई पहचान बनाई है। विभिन्न शोध यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं सहायता समूह बनने के बाद तथा इसकी सदस्य बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूंजी (कल्चरल कैपिटल) में वृद्धि हुई है। 'मुद्रा योजना' अप्रैल 2015 में आरम्भ की गई जिसमें 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। वर्तमान बजट में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हाल ही में हुए दावोस सम्मेलन में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को लेकर समावेशी नजरिया रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण महिलाओं के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्ती भूमिका निभायेगा। भारत को अपनी आर्थिक नीति में इस बात को याद रखना होगा कि महिलाओं को अर्थव्यवस्था में जोड़ने से 27 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना होती है। स्व-सहायता समूह, मुद्रा योजना के अलावा, मनरेगा के लिए केन्द्रीय बजट ने 55 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भागीदारी निर्धारित करके आर्थिक कार्यकलाप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि कुल सृजित कार्य दिवस में महिलाओं की भागीदारी 50 से अधिक रही है।

2018-19 का केंद्रीय बजट इस दृष्टि से भी अभूतपूर्व है कि इसमें कृषकों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अनेकानेक प्रावधान किए गए हैं। सामान्यत: कृषि के लिए आवंटित बजट का विश्लेषण महिला हितकारी पृष्ठभूमि में चर्चा योग्य नहीं माना जाता परंतु यह एक भूल है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि फसल उत्पादन, पशुधन उत्पादन, फसल-पश्च कार्य कृषि, सामाजिक वानिकी, मत्स्यपालन आदि सहित कृषि विकास और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है और यह ऐसा तथ्य है जिसे लम्बे समय से उचित महत्त्व नहीं दिया गया है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। पुरुषों द्वारा ग्रामों से हटकर शहरी प्रवसन बढ़ने के कारण खेतिहारों उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में बहुविध भूमिकाओं में महिलाओं की बढ़ती संख्या से कृषि क्षेत्र का 'नारीकरण' हो गया है। वित्तमंत्री ने 2000 करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाने की बात कही है साथ ही मछली पालन और पशुपालन के लिए 10 हजार करोड़ के 2 फंड बनाने की घोषणा की है। ये दोनों ही प्रावधान महिला हितैषी हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा में लाये जाने हेतु, सरकार ने सभी चालू योजनाओं/कार्यक्रमों तथा विकास कार्यकलापों में महिला लाभार्थियों हेतु बजट आवंटन का कम से कम 30 प्रतिशत अलग से रखने का प्रावधान किया है एवं कृषि में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस घोषित किया है। महिलाओं के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में, केन्द्रीय बजट में, महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक वेतन प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8 प्रतिशत करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने की घोषणा की गई। लैंगिक समता के आंतरिक मूल्यों पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि यदि महिलाएं और अधिक व्यक्तिगत क्षमता प्राप्त कर सकें, और सामाजिक हैसियत प्राप्त कर सकें तथा श्रम बल में बराबर की भागीदार बन सकें तो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है।

हाल ही में हुए दावोस सम्मेलन में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं को लेकर समावेशी नजरिया रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह महिला सशक्तीकरण महिलाओं के लिए ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

केन्द्रीय बजट में वित्तमंत्री ने कहा, 'आयुष्मान भारत के तहत, महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।' गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केन्द्र, स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे तथा असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। वित्त मंत्री ने उल्लेखित किया कि आयुष्मान भारत की यह पहल 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेगी और इनसे सर्वांधित उत्पादकता और कल्याण में वृद्धि होगी और इनमें मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा जिससे प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

महिला एवं बाल विकास हेतु, आवंटित राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। राष्ट्रीय पोषाहार योजना में जहां 2017-18 में, 1,500 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, वहीं वर्तमान बजट में यह राशि दोगुनी कर दी गई है। कुपोषण अभी भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जोखिम संबंधी कारक (14.6 प्रतिशत) बना हुआ है जिसके परिणामस्वरूप देश में बीमारी का बोझ बढ़ता है। *राष्ट्रीय पोषाहार योजना*, बाल संरक्षण योजना, जिसमें पूर्व में 648 करोड़ रु. आवंटित हुए थे। अब वर्तमान बजट में, बढ़ाकर जिसे 725 करोड़ रुपये किया गया है, *प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना* जैसी अन्य सरकारी नीतियों को अमल में लाकर नवजात बच्चों से संबंधित बीमारियों और पोषकतत्त्वों की कमी एवं अतिसार, निचला श्वस्न संक्रमण तथा अन्य सामान्य बीमारियों जो बाल एवं मातृ-कुपोषण को प्रदर्शित करती है, पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया है।

पिछले वित्त वर्ष में (2017-18) में अनेक मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं का विस्तार किया गया और अनेक नए कार्यक्रम आरंभ किए गए ताकि देश में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास को संपोषित

किया जा सके। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का लक्ष्य 6 वर्ष तक की आयु के शिशुओं का समग्र विकास करना और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं की पोषण विषयक जरूरतें पूरी करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक गर्भवती महिला एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी के नुकसान के लिए उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए 6,000 रुपये प्रदान करता है।

हाल ही में एक छत के नीचे *एकीकृत बाल विकास सेवा योजना* के तहत मंत्रालय की शिशु केंद्रित चार योजनाएं जैसे (क) आंगनबाड़ी सेवा (ख) किशोरी कन्या योजना (ग) शिशु रक्षण सेवा और (घ) राष्ट्रीय शिशु सदन योजना के औचित्य-स्थापन, पुनर्निर्माण एवं सातत्य का अनुमोदन सरकार द्वारा किया गया है। *स्वच्छ भारत अभियान* से संगति बनाते हुए, पुनर्सृजित आंगनबाड़ी सेवा योजना के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय एवं स्वास्थ्यप्रद पेयजल सुविधा की उपलब्धता पर विशेष ओर दिया गया है। *स्वच्छ भारत अभियान* का *स्वस्थ भारत* से सीधा संबध है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान *स्वच्छ भारत मिशन* के बारे में कहा कि, 'इस मिशन के तहत सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है।'

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 55 करोड़ थी। वर्ष 2014 से पहले देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में काफी तेज गति से घटकर जनवरी 2018 में 25 करोड़ रह गई। यूनिसेफ के अनुसार, स्वच्छता की कमी भारत में वार्षिक रूप से 100,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु और 48 प्रतिशत बच्चों के विकास में रुकावट के लिए उत्तरदायी है। *स्वच्छ भारत अभियान*, सिर्फ स्वस्थ देश के स्वप्न को साकार नहीं कर रहा अपितु यह महिलाओं की सुरक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता अभियान के महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर जो दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे वह अभी 'बजट विश्लेषण' करते समय महिला आधारित प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं हैं, परंतु स्वच्छता अभियान को महिला हितैषी न मानना 'अज्ञानता' ही है।

महिला सशक्तीकरण 'शिक्षा' के साथ भी अपरिहार्य रूप से जुड़ा हुआ है। विकास अध्ययन के लिए ब्रिटेन स्थित संस्थान आई. डी.एस. द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार माताओं की शिक्षा और निर्णय लेने की उनकी क्षमता, शिशु बाल मृत्यु दर को प्रभावित करती है। यह तथ्य पश्चिम बंगाल के संबंध से स्पष्ट है जहां महिला साक्षरता दर 50.8 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हुई एवं शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट हुई है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए 280 रुपये करोड़ की राशि आवंटित की गई है। साथ ही वित्त मंत्री ने जनवरी 2015 में शुरू की गई *सुकन्या समृद्धि खाता योजना* का भी उल्लेख किया। यह योजना शुरू करने से लेकर नवंबर 2017 तक बालिका के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें 19,183 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

महिला सशक्तीकरण का केन्द्र बिन्दु आर्थिक आत्मनिर्भरता है क्योंकि स्वावलंबन आत्मविश्वास को जाग्रत करता है। भारत में आज भी, श्रम बल भागीदारी दर में लिंग अंतराल 50 प्रतिशतांक से अधिक है। आर्थिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भागीदारी में कमी अर्थव्यवस्था की संभावित संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यही कारण है कि स्वरोजगार उद्यमों के सृजन के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं

लैंगिक समानता सूचकांक विद्यालयी शिक्षा में ऐसा उपयोगी सूचकांक हैं जो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव को दर्शाता है। उच्च शिक्षा में, नामांकन में लैंगिक विषमताएं अभी भी बनी हुई है जिनके बारे में सरकार उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रवेश दर को सुधारने का निरंतर प्रयत्न कर रही है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* जैसे कार्यक्रमों के जरिए किये जाने वाले सरकार के निरंतर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के नामांकन पर लैंगिक समानता सूचकांक (जी.पी.आई.) में सुधार आया है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* योजना का उद्देश्य बच्चियों के जीवन धारण, रक्षण और शिक्षण को बढ़ावा देना है। इसका मकसद मामले की गंभीरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और सामाजिक मानसिकता बदलने पर लक्षित व्यापक अभियान के जरिए घटते शिशु लिंग अनुपात के मामले का निराकरण करना है। *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* एक ऐसी योजना है, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। विभिन्न शोध निरंतर इशारा कर रहे हैं कि शिक्षित महिला अपने स्वास्थ्य को लेकर जाग्रत रहती हैं। बालिका शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय साधन सह-मैरिट छात्रवृत्ति योजना संचालित है। सरकार की चिंता का विषय महिलाओं की सुरक्षा है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अपराधों के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महिला की सुरक्षा, समर्थ और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, स्थापित *निर्भया कोष* में 500 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए हैं। इसके बाद कोष में कुल राशि 3,500 करोड़ रुपये तक हो जायेगी।

पहले की ही तरह बेहद प्रभावशाली *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* हेतु इस वर्ष भी विस्तार की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट घोषणा पत्र में कहा ''गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने *प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना* शुरू की थी। शुरुआत में हमने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था लेकिन इस योजना की गति देखकर और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखकर हम इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।'' आज भी देश के कई हिस्सों में

मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया जाता है। लकड़ियों के जलने से एक तरफ वातावरण दूषित होता है, तो दूसरी तरफ चूल्हे से धुआं निकलने के कारण महिलाओं को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

उज्ज्वला योजना के अतिरिक्त 'प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना एवं अमृत कार्यक्रम, महिलाओं के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। *प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना* की शुरुआत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़े जाने के लिए हुई है। वहीं अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था पर केन्द्रित है। अमृत योजना के अन्तर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। अमृत योजना, महिलाओं के श्रम हनन को रोकेगी क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए पानी का प्रबंध, महिलाओं का ही दायित्व माना जाता है।

महिला एवं बच्चों के सभी आवश्यक आयामों को समायोजित करने की चेष्टा वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में परिलक्षित होती है। परन्तु महिला स्वावलंबन पर केंद्रित बजट में, जिस घोषणा का अभाव खला वह था महिलाओं के लिए, स्टार्टअप योजनाओं के नियमों में ढिलाई का। आर्थिक सहायता के संबंध में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सकारात्मक सोच के बावजूद अनेक अड़चने हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देश में पापड़ बनाने और सिलाई केन्द्र जैसे छोटे कामों के लिए अधिक संसाधनों और अधिक जगह जैसी पात्रता की शर्तें हैं, जिन्हें पूरा कर पाना सहज नहीं कहा जा सकता। इसलिए आवश्यकता है व्यावहारिक कमियों को दूर करने की।

स्त्री स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होता 2018-19 का केन्द्रीय बजट तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पायेगा जब, घोषणाओं का क्रियान्वयन उससे संबंधित विभागों द्वारा, ईमानदारी से किया जायेगा। ❑

संदर्भ

- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की वेबसाइट
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट
- आर्थिक समीक्षा 2017-18
- www.mea.gov.inèspeeches-statements-h1.htm
- Indiabudget.nic.inèub2018-19bsèhbs.pdf
- Dollar, David and Roberta Gatti, Gender inequality, income and growth : are good times for women? Vol. 1, Washington, DC : Development Research Group, The World Bank, 1999
- Duflo, Esther, "Women empowerment and economic development", Journal of Econic Literature 50.4 (2012) : 1051-1079
- Lagarde C., "To Boost Growth : Employ More Women", IMF Blog. N.p., 2016. Web.
- Loko, Boileau, and Mame Astou Diouf. "Revisting the Determinants of Productivity Growth : What's New?" (2009)
- www.deepawali.co.in beti.bachao.beti.padhao.yojna.in
- संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट
- http://www.indiabudget.gov.inèhbspeecha.asp
- http://www.indiabudget.gov.inèub2018-19èbsèhbs.pdf
- Economic Survey 2018
- केन्द्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण
- http://mofapp.nic.in:8080èeconomicsurveyèpdfè167-185_Chapter_10_Economic_Survey_2017-18.pdf

SARVODAYA IAS

भारतीय अर्थव्यवस्था

by A.K.Arun

New Batch Pre - Cum Mains

12th March 3:30 PM

303, TOP FLOOR BHANDARI HOUSE , MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09

9773-71-72-00, 8130-953-963